



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 864]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2017/ चैत्र 6, 1939

No. 864]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2017/CHAITRA 6, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

का.आ. 967(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डॉ. नगीन नन्दा, भूतपूर्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 1 मार्च, 2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(29)/2015-पीएल/एनजीटी (वालयूम-II)]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2017

S.O. 967(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Dr. Nagin Nanda, former Additional Principal Chief Conservator of Forest, Government of Himachal Pradesh as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from 1st March, 2017 for a period of five years or till he attains the age of sixty five years or till further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 17(29)/2015-PL/NGT (Vol. II)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.